न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश कुमार, चौधरी आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 2/2013 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद , जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

श्रीमति मधु पारेकल धर्म पत्नी श्री मथाई कुट्टी पारेकल जाति ईसाई
1–बी–11 संजय गांधी नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1 राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार ,प्रार्थी की ओर से)
2 अप्रार्थी अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 18 राजस्थान भू– राजस्व निजी जंगलात विकसित करते हेतु अकृषि योग्य बंजड भूमि का आवंटन नियम 1986

निर्णय दिनांक : 22.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी को ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद में स्थित ख0न0 48 की 13 बीघा भूमि दिनांक 12.02.1987 को राजस्थान भू– राजस्व निजी जंगलात विकसित करते हेतु अकृषि योग्य बंजड भूमि का आवंटन) नियम 1986 के प्रावधानो के अंतगत आवंटित की गई थी। आवंटन की शर्त संख्या 3 के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में एक तिहाई क्षेत्र पर, द्वितीय वर्ष में दूसरे एक तिहाई क्षेत्र पर तथा तृतीय वर्ष में शेष क्षेत्र पर वन अधिकारी द्वारा अनुमोदित किस्म के वृक्ष लगाने थे। आवंटी द्वारा उसे आवंटित भूमि पर आज दिन तक कोई वृक्ष नहीं लगाये गये है। ऐसी स्थिति में आवंटी को किया गया उक्त आवंटन नियम 18 क अन्तर्गत निरस्त किया जावे।

2. उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण 125/2000 सरकार बनाम मधुपारेकल में इस न्यायालय का पारित निर्णय दिनांक 25.08.2000 आवंटी द्वारा आंवटन भूमि पर वृक्ष नहीं लगाये गये है जो स्पष्टतया आवंटन की शर्त सं0 3 का उल्लंघन होने से अप्रार्थी को आवंटित भूमि नियम 18 के अन्तर्गत निरस्त किया जाने पर अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 25.08. 2000 की अप्रसन्नता से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 12/189/एल0आर श्रीमति मधु पारेकल बनाम सरकार प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 17.12.2012 से अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि वह अपीलाण्ट को जवाब एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन– विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 17.01.2023 को उपस्थित होने के आदेश दिये गये। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। दौराने विचारण अप्रार्थी की ओर से दिनांक 31.05.2013 को

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

जवाब पेश हुआ। परन्तु दिनांक 11.02.2015 को अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी का कथन रहा कि ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की सिवायचक भूमि आराजी ख0न0 48 की 26 बीघा 19 बिस्वा स्थित है जिसमे से ख0न0 48 की 13 बीघा आराजी निजी वन विकास हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश कमांक 87/386 दिनांक 13.02.1987 को प्रार्थिया को भूमिहीन को निजी वन विकास हेतु नियमानुसार आवंटित की जाकर मोके पर कब्जा दिया गया था। उक्त आवंटन आदेश को निरस्तीकरण करते हेतु किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अपील/रिवीजन/रफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर में आज दिन तक चेलेंज नहीं किया गया। कडी मेहनत लगन से बंजड भूमि को निजी वन विकास हेतु अपना तन मन धन लगाकर बंजड पडत भूमि को निजी वन विकास करने में बनाया है। जो पोधो का निजी संरक्षण के आधार पर पोधो एवं पेड के रूप में विकसित हो चुके है। पटवारी हल्का ने भ्रष्टाचरण कि नितिया अपनाकर तहसील के माध्यम से गलत रिपोर्ट पेश की जिस पर सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, और सबूत पेश करने का मौका भी नहीं दिया गया। अतः उक्त वर्णित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आराजी ख0न0 48 कि 13 बीघा आराजी पर आवंटन आदेश कमांक 87/38 दिनांक 3.02.1987 को बहाल रखा जाकर 13 बीघा आराजी से प्रार्थिया को बेदखल ना किया जावे।

4. विद्वान राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी को ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद में स्थित ख0न0 48 की 13 बीघा भूमि दिनांक 12.02.1987 को राजस्थान भू–राजस्व निजी जंगलात विकसित करते हेतु अकृषि योग्य बंजड भूमि का आवंटन) नियम 1986 के प्रावधानो के अंतर्गत आवंटित की गई थी। जिसमें अप्रार्थी द्वारा शर्तो की पालना नहीं की गई। तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2024 के अनुसार ग्राम भीमपुरा के मिलान क्षेत्रफल संवत 2043–62 से साबिक ख0न0 48 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 3.85 है0 कायम किये गये है। मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ख0 न0 66 रकबा 3.85 है0 किस्म गे0मु0 नाला सिवायचक खाता दर्ज है। मौके पर ख0न0 66 रकबा 3.85 है0 पर आंशिक रूप से अतिक्रमण है जिसकी भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही जैरकार है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.10..2023 से कोटा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आ जाने के कारण ग्राम भीमपुरा की सिवायचक भूमि को कोटा प्राधिकरण को हस्तानान्तरित किये जाने का प्रस्वात श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा भिजवाया जा चुका है। आवंटी द्वारा उसे आवंटित भूमि पर आज दिन तक कोई वृक्ष नहीं लगाये गये है। ऐसी स्थिति में आवंटी को किया गया उक्त आवंटन नियम 18 क अन्तर्गत निरस्त किया जावे।

5 पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण 125/2000 सरकार बनाम मधु पारेकल में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2000 से प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 18 राजस्थान भू– राजस्व निजी जंगलात विकसित करते हेतु अकृषि योग्य बंजट भूमि का आवंटन 1986_के अन्तर्गत अप्रार्थी को आवंटित उक्त भूमि नियम 18 के अन्तर्गत निरस्त की गई थी जिस पर अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 25.08.2000 की अप्रसन्नता से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 12/189/एल0आर मधु पारेकल बनाम सरकार प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 17.12.2012 से अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि वह अपीलाण्ट को जवाब एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन– विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। अतः तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2024 के अनुसार ग्राम भीमपुरा के मिलान क्षेत्रफल संवत 2043–62 से साबिक ख0न0 48 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 66

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

रकबा 3.85 है0 कायम किये गये है। मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ख0 न0 66 रकबा 3.85 है0 किस्म गे0मु0 नाला सिवायचक खाता दर्ज है। मौके पर ख0न0 66 रकबा 3.85 है0 पर आंशिक रूप से अतिक्रमण है जिसकी भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही जैरकार है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में अवलोकन से जाहिर आया है कि मौके पर किसी प्रकार का निजी वन का अस्तित्व/विकास नहीं है, तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की है। अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25.08.2000 को यथावत रखा जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा